

भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 33)

[31 दिसम्बर, 2017]

कतिपय प्रबंध संस्थानों को प्रबन्ध, प्रबन्ध अनुसंधान और ज्ञान के संबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों को हासिल करने के लिए इन संस्थाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक कतिपय अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करना—अनुसूची में वर्णित संस्थाओं के उद्देश्य ऐसे हैं, जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बनाते हैं, अतः यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक ऐसा संस्थान राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “विद्या परिषद्” से धारा 15 में निर्दिष्ट विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) किसी संस्थान के संबंध में “बोर्ड” से धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट शासक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) “अध्यक्ष” से धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नियुक्त संस्थानों के शासक बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) “समन्वयन मंच” से धारा 29 के अधीन स्थापित समन्वयन मंच अभिप्रेत है;

(ङ) किसी संस्थान के संबंध में अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित “तत्समान संस्थान” से, स्तंभ (5) में उक्त संस्थान के सामने यथाविनिर्दिष्ट संस्थान अभिप्रेत है;

(च) “निदेशक” से धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(छ) “विद्यमान संस्थान” से अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित कोई संस्थान अभिप्रेत है;

(ज) “संस्थान” से अनुसूची के स्तंभ (5) में उल्लिखित कोई संस्थान अभिप्रेत है;

(झ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का, उसके सजातीय अर्थों और व्याकरणिक रूपभेदों सहित, तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ञ) “अध्यादेश” से इस अधिनियम के अधीन विद्या परिषद् द्वारा बनाए गए अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(ट) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;

(ठ) “विनियमों” से बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(ड) “अनुसूची” से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) “सोसाइटी” से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) मैसूर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 (1960 का 17) या मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) या तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1975 (1975 का 27) या जम्मू-कश्मीर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1998 (1998 का 6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित सोसाइटियों में से कोई सोसाइटी अभिप्रेत है।

अध्याय 2 संस्थान

4 संस्थानों का निगमन—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही प्रत्येक विद्यमान संस्थान अनुसूची के स्तंभ (5) में यथा उल्लिखित उसी नाम का एक निगमित निकाय होगा।

(2) अनुसूची के स्तंभ (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक संस्थान का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

5. संस्थानों के निगमन का प्रभाव—इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी विद्यमान संस्थान के प्रतिनिर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तत्समान संस्थान के प्रतिनिर्देश है;

(ख) प्रत्येक विद्यमान संस्थान की या उससे संबंधित जंगम और स्थावर सभी संपत्तियां तत्समान संस्थान में निहित हो जाएंगी;

(ग) प्रत्येक विद्यमान संस्थान के सभी अधिकार और ऋण तथा अन्य दायित्व तत्समान संस्थान को अन्तरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व हो जाएंगे;

(घ) ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रत्येक विद्यमान संस्थान द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना पद या सेवा तत्समान संस्थान में उसी सेवा की अवधि के साथ, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों तथा निबंधनों पर और पेंशन, छुट्टी, भविष्य निधि और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जैसे वह उसे उस दशा में धारण करता यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसकी ऐसी सेवा की अवधि, उसका पारिश्रमिक और निबंधन तथा शर्तें विनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं :

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा उस कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार समाप्त किया जा सकेगा या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो स्थायी कर्मचारियों की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर का उसको संदाय करके ऐसे नियोजन को समाप्त किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अथवा किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में किसी विद्यमान संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन, चाहे वह किसी भी शब्द रूप में हो, तत्समान संस्थानों के निदेशक और अन्य अधिकारियों के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा;

(ङ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व प्रत्येक विद्यमान संस्थान में किसी शैक्षणिक या अनुसंधान पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे प्रारंभ पर संस्थान के उसी स्तर के पाठ्यक्रम में, जिस पर ऐसा व्यक्ति स्थानांतरित हुआ हो, तत्समान संस्थान में स्थानांतरित और रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा;

(च) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व, किसी विद्यमान संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या संस्थित किए जा सकने वाले सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां तत्समान संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी।

6. संस्थान के उद्देश्य—प्रत्येक संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे अग्रगण्यों को शिक्षित करना और उन्हें समर्थन देना, जो वृत्तिक प्रबंधकों, उद्यमियों और प्राइवेट, सार्वजनिक और सामाजिक क्षेत्र में विद्यमान तथा नए प्रकट होने वाले उद्यमों के प्रबंधकर्ताओं के रूप में योगदान दे सकते हैं;

(ख) नए ज्ञान और नई प्रक्रिया-पद्धति की अभिवृद्धि के लिए अनुसंधान, प्रकाशन, परामर्शकारी और सलाहकारी कार्य करना तथा प्रबंध सिद्धांत और व्यवहार में वैश्विक नेतृत्व उपलब्ध कराना :

परंतु इस प्रकार संचालित अनुसंधान विद्या के ऐसे क्षेत्रों के प्रति निदेशित होंगे जो अधिनियम के उद्देश्यों में यथा दर्शित निश्चायक, साम्यापूर्ण और पोषणीय राष्ट्रीय विकास को वर्धित करेंगे;

(ग) उच्च क्वालिटी की प्रबंध शिक्षा उपलब्ध कराना तथा ज्ञान के संबंधित क्षेत्रों तथा साथ ही अन्तर-विषयक अध्ययनों को प्रोत्साहित करना;

(घ) समाज के प्रति पूर्ण ढंग से योगदान देने के लिए निश्चायक, साम्यापूर्ण और पोषणीय राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की कल्पना के प्रति प्रबंध शिक्षा को सुग्राही बनाना;

- (ङ) सामाजिक और लैंगिक समानता का संवर्धन करने वाले कार्यक्रमों का समर्थन करना और उनको तैयार करना;
- (च) ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों और संकायों का विकास करना जो विद्या की सभी शाखाओं में शिक्षा, अध्यापन और विद्यार्जन के प्रयोजन को अग्रसर करें;
- (छ) प्रबंध अध्ययनों और संबंधित क्षेत्रों के लिए केन्द्रों की स्थापना करना;
- (ज) भारत में प्रबंध संस्थाओं और अन्य शिक्षण संस्थाओं का समर्थन करना और उनके साथ सहयोग करना;
- (झ) अन्य देशों में प्रबंध शिक्षा और अनुसंधान में अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक और प्रबंध संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग करना।

7. संस्थान की शक्तियाँ और कृत्य—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

- (क) संस्थानों का प्रशासन तथा प्रबंध करना;
- (ख) विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में, तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुरूप, अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए विनियमों द्वारा उपबंध करना;
- (ग) प्रबंध तथा संबंधित विषयों में अध्ययन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट करना और उनका संचालन करना तथा उसके ज्ञान का प्रलेखन और प्रसार करना;
- (घ) प्रावैगिक वैश्विक प्रबंधन व्यवहारों के अनुरूप अभिनव प्रबंधन शिक्षा शास्त्र को विकसित करना;
- (ङ) परीक्षाओं का संचालन करना और निष्पक्ष तथा पारदर्शक प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकन और कार्य कौशल के निर्धारण के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना;
- (च) डिग्रियां, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां और पदवियां प्रदान करना और अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और मैडल, सम्मानिक पुरस्कार और अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रारंभ और प्रदान करना;
- (छ) शिक्षा के खर्च को कम करना और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का तथा अन्य नवाचार पद्धतियों का प्रयोग करके शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना;
- (ज) ऐसी अवसंरचना की स्थापना और उसका अनुरक्षण करना, जो आवश्यक हो;
- (झ) संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षा और अन्य सेवाओं के लिए, जिनके अन्तर्गत प्रशिक्षण, परामर्शकारी और सलाहकारी सेवाएं भी हैं, छात्रों और किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या निगमित निकाय से, ऐसी फीस और अन्य प्रभारों के जो संस्थान उचित समझे, संदाय का अवधारण करना, उन्हें विनिर्दिष्ट करना और प्राप्त करना;
- (ञ) संस्थान से संबद्ध या उसमें निहित संपत्ति का, संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए, बोर्ड के अनुमोदन से और स्थावर संपत्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार को पूर्व सूचना देते हुए इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसी संपत्ति पूर्णतया या भागतः राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की निधियों से अभिप्राप्त नहीं की गई है, अर्जन करना, उसे धारित करना और उसका व्यौहार करना :
- परन्तु जहां किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थान के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, वहां ऐसी भूमि का व्ययन केवल केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकेगा;
- (ट) संस्थान के निदेशक से भिन्न संस्थान के अधीन शैक्षणिक पशासनिक, तकनीकी, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन तथा उन पर नियुक्तियां करना;
- (ठ) संस्थान के किसी कारबार का निपटारा करने या संस्थान से संबंधित किसी विषय में सलाह देने के लिए समितियां नियुक्त करना;
- (ड) संस्थान के पूंजीगत व्यय सहित व्ययों, जिनके अन्तर्गत उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के पालन में उपगत व्यय भी हैं, को चुकाने के लिए अनुदान और दान तथा अभिदाय प्राप्त करना और निधियों को, जिनके अन्तर्गत आंतरिक रूप से जनित संस्थान की निधियां भी हैं, अभिरक्षा में रखना;
- (ढ) भागीदारी, संबन्धन का और वृत्तिक या सम्मानिक या तकनीकी सदस्यता या पद के ऐसे अन्य वर्गों का, जो संस्थान आवश्यक समझे, सृजन करना;
- (ण) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो संस्थान के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों;
- (त) ऐसी अन्य सभी बातें और क्रियाकलाप करना, जो संस्थान के सभी या उनमें से किसी उद्देश्य की पूर्ति के आनुषंगिक हों।

8. संस्थानों का लिंग, मूलवंश, पंथ और वर्ग को विचार में लिए बिना, सभी के लिए खुला होना—(1) प्रत्येक संस्थान, लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग को विचार में लिए बिना, सभी के लिए खुला होगा और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों या कर्मकारों को प्रवेश देने या उनकी नियुक्ति करने में या किसी भी अन्य बात के संबंध में धार्मिक विश्वास या मान्यता का परीक्षण या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) कोई भी संस्थान किसी संपत्ति की कोई ऐसी बसीयत, उसका संदान या अंतरण स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें बोर्ड की राय में इस धारा के भाव और उद्देश्य के विरुद्ध कोई शर्त या बाध्यता अंतर्वलित है।

(3) प्रत्येक संस्थान में प्रत्येक शैक्षणिक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश, ऐसे संस्थान द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व उसके प्रोस्पेक्टस के माध्यम से प्रकटित पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंडों के माध्यम से निर्धारित योग्यता पर आधारित होगा :

परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह संस्थान को स्त्रियों, निःशक्त व्यक्तियों या सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध बनाने से निवारित करती है :

परंतु यह और कि प्रत्येक संस्थान केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2007 के 5) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्था होगा।

9. संस्थान का लाभ न कमाने वाली एक सुभिन्न विधिक सत्ता होना—(1) प्रत्येक संस्थान लाभ न कमाने वाली एक विधिक सत्ता होगी और ऐसे संस्थान के राजस्व में के अधिशेष के, यदि कोई हो, किसी भाग का इस अधिनियम के अधीन उसकी संक्रियाओं के बारे में सभी व्ययों को चुकाने के पश्चात्, ऐसे संस्थान की अभिवृद्धि और विकास अथवा उसमें अनुसंधान करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए विनिधान नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक संस्थान अपनी स्वसम्पन्नता और पोषणीयता के लिए निधियां जुटाने का प्रयास करेगा।

अध्याय 3

संस्थान के प्राधिकरण

10. शासक बोर्ड—(1) प्रत्येक संस्थान का शासक बोर्ड, उस संस्थान का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।

(2) प्रत्येक संस्थान का बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) बोर्ड द्वारा, उद्योग या शिक्षा या विज्ञान या प्रौद्योगिकी या प्रबंध या लोक प्रशासन के क्षेत्र में या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त विख्यात व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष;

(ख) केन्द्रीय सरकार का एक ऐसा नामनिर्देशिती जिसके पास प्रबंध शिक्षा का प्रभार है या उसका प्रतिनिधि;

(ग) संबंधित राज्य सरकार का, जिसकी राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर संस्थान अवस्थित है, एक नामनिर्देशिती या ऐसे नामनिर्देशितियों का प्रतिनिधि;

(घ) शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक सेवा या लोक प्रशासन के क्षेत्र से ऐसा अनुभव रखने वाले ऐसे चार विख्यात व्यक्ति, जिन्हें बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिनमें कम से कम एक महिला होगी;

(ङ) संबंधित संस्थानों के संकाय से दो सदस्य, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति में, जो बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा अधिकथित की जाए, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(च) खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (छ) में निर्दिष्ट सदस्यों में से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से एक व्यक्ति;

(छ) विद्यमान संस्थान के पूर्व छात्रों या समाज के सदस्यों में से बोर्ड द्वारा सहयोजित किए जाने वाले अधिकतम पांच सदस्य, जिन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा को सिद्ध किया हो :

परंतु ऐसे पांच सदस्यों में से एक से अनधिक सदस्य समाज से होगा;

(ज) खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (छ) में निर्दिष्ट सदस्यों में से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली तीन महिला सदस्य;

(झ) संस्थान का निदेशक, पदेन सदस्य।

(3) बोर्ड, उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (छ) में निर्दिष्ट किसी सदस्य की अस्थायी रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए, जो तीन मास तक की हो सकेगी, नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) बोर्ड, संस्थान के किसी अधिकारी को बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए पदाभिहित करेगा।

(5) अध्यक्ष को किन्हीं विशेषज्ञों को, जो बोर्ड के सदस्य न हों, बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की शक्ति होगी, किन्तु ऐसे आमंत्रित बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

11. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान का बोर्ड, संस्थान के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और उसे विनिर्दिष्ट संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विनियम बनाने या संस्थान के कार्यों को शासित करने वाले विनियमों को संशोधित करने या उन्हें उपांतरित करने या विखंडित करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण में संबंधित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करना;

(ख) संस्थान के वार्षिक बजट प्राकल्पनों की परीक्षा और अनुमोदन करना;

(ग) संस्थान के विकास के लिए योजना की परीक्षा और अनुमोदन करना तथा ऐसी योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त के स्रोतों का पता लगाना;

(घ) अध्ययन विभागों, संकायों या विद्यालयों की स्थापना करना और संस्थान में अध्ययन कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों को आरंभ करना;

(ङ) केन्द्रीय सरकार को सूचित करते हुए, देश के भीतर प्रबंध अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों के केन्द्र स्थापित करना;

(च) डिग्रियां, डिप्लोमे और विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां या उपाधियां देना और अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित और प्रदान करना;

(छ) सम्मानिक उपाधियां ऐसी रीति में देना, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं;

(ज) सम्मानिक पुरस्कार और अन्य विशिष्ट उपाधियां देना;

(झ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना :

परंतु ऐसे पदों का काडर, वेतमान, भत्ते और नियोजन के निबंधन, ऐसे होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं;

(ञ) ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियों को विनियमों द्वारा अवधारित करना तथा शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृंद के कर्तव्यों और सेवा-शर्तों को परिभाषित करना;

(ट) भारत के बाहर, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार और ऐसे विदेश में तत्समय प्रवृत्त विधियों के उपबंधों के अनुसार प्रबंध अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों के केन्द्र स्थापित करना;

(ठ) संस्थान के निदेशक को, ऐसे कार्य प्रदर्शन उद्देश्यों, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के आधार पर परिवर्तनीय वेतन का संदाय करना;

(ड) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;

(ढ) अध्यापन विभाग के बनाए जाने की रीति को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;

(ण) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियों पदकों और पुरस्कारों के संस्थित किए जाने को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;

(त) संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृंद की अर्हताओं, वर्गीकरण, पदावधि और नियुक्ति की पद्धति को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;

(थ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों के गठन को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;

(द) भवनों की स्थापना और अनुरक्षण को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;

(ध) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तों तथा छात्र निवासों और छात्रावासों में निवास के लिए फीस तथा अन्य प्रभारों के उद्ग्रहण को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;

(न) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों के अधिप्रमाणन की रीति को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;

(प) बोर्ड, विद्या परिषद् और किसी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति को और उनके कार्य-संचालन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;

(फ) संस्थान की वित्तीय जवाबदेही को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना; और

(ब) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(3) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा बोर्ड की ऐसी शक्तियां और कृत्य, निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(4) बोर्ड, संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में, निदेशक के कार्य प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगा :

परन्तु ऐसे पुनर्विलोकन में, ऐसे पैरामीटर, नियतकालिकता और निर्देश निबंधन, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, के आधार पर संस्थान के संकाय सदस्यों के कार्य प्रदर्शन का पुनर्विलोकन सम्मिलित होगा।

(5) बोर्ड, संस्थान के निगमन के तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार संस्थान के, जिसके अन्तर्गत उसका संकाय भी है, कार्य प्रदर्शन का, दीर्घकालिक रणनीति के सन्निधियों और संस्थान की संचालन योजना तथा ऐसे अन्य सन्निधियों के आधार पर, जैसा बोर्ड विनिश्चय करे, मूल्यांकन और पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञ समूह की अर्हताएं, अनुभव और चयन की रीति वह होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(7) उपधारा (5) के अधीन मूल्यांकन और पुनर्विलोकन की रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार को, उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ, प्रस्तुत की जाएगी।

(8) जहां अध्यक्ष या निदेशक की राय में स्थिति इतनी आपातक है कि संस्थान के हित में तत्काल विनिश्चय किए जाने की आवश्यकता है, वहां अध्यक्ष, निदेशक के परामर्श से अपनी राय के आधारों को लेखबद्ध करते हुए, ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसे आदेश बोर्ड द्वारा अगली बैठक में अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(9) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में केन्द्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होगा।

12. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनके बीच की रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते—(1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, बोर्ड के अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य की पदावधि, उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन की तारीख से चार वर्ष की होगी :

परन्तु धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष की होगी :

परन्तु यह और कि बोर्ड के अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि बोर्ड के अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य को दो क्रमवर्ती अवधियों से अधिक अवधि के लिए नियुक्त या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह ऐसा पद, जिसके आधार पर वह बोर्ड का सदस्य है, धारण करता है।

(3) बोर्ड का, केन्द्रीय सरकार के या राज्य सरकार के नामनिर्देशितियों से भिन्न, ऐसा कोई सदस्य, जो अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा।

(4) किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को धारा 10 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

(5) ऐसे किसी सदस्य की, जिसे किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है, पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि तक बनी रहेगी, जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(6) बोर्ड का सदस्य बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे भत्तों का हकदार होगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

13. अध्यक्ष द्वारा पद त्याग—अध्यक्ष, बोर्ड को संबोधित और स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा।

14. विद्या परिषद्—(1) विद्या परिषद प्रत्येक संस्थान की प्रधान विद्या निकाय होगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) संस्थान, का निदेशक, जो विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(ख) शिक्षा, अनुसंधान, छात्रों संबंधी कार्यों और संस्थान के ऐसे अन्य कृत्यों के प्रभारी संकायाध्यक्ष;

(ग) क्षेत्रों या कार्यक्रमों के प्रमुख, संस्थान के संकायों या विद्यालयों या केन्द्रों अथवा विभागों के अध्यक्ष या समन्वयक;

(घ) संस्थान के आचार्य स्तर के सभी पूर्णकालिक संकाय सदस्य और उतने अन्य पूर्णकालिक संकाय सदस्य, जितने बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं;

(ङ) निदेशक की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा आमंत्रित ऐसे सदस्य, जो उद्योग, वित्त, प्रबंधन, लोक प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त हैं।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक वह ऐसा बनी रहेगी, जब तक वह ऐसा पद, जिसके आधार पर वह सदस्य है, धारण करता है।

(3) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन से दो वर्ष की होगी।

15. विद्या परिषद् की शक्ति और कृत्य—(1) विद्या परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) संस्थान द्वारा प्रस्थापित अध्ययन पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानदंड और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;

(ख) अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक अंतर्वस्तु विनिर्दिष्ट करना तथा उसमें उपांतरण करना;

(ग) शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षाओं के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विनिर्दिष्ट करना और डिग्रियां, डिप्लोमे और विद्या संबंधी सम्मान या उपाधियां प्रदान करने की सिफारिश करना।

(2) विद्या परिषद् ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा या बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।

16. निदेशक—(1) निदेशक, संस्थान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और संस्थान को नेतृत्व प्रदान करेगा और बोर्ड के विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो विहित किए जाएं।

(3) निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से की जाएगी। यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) बोर्ड का अध्यक्ष, जो खोजबीन-सह-चयन समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) विख्यात प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और प्रबंध विशेषज्ञों में से चुने गए तीन सदस्य :

परंतु जहां बोर्ड का, खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिशों से समाधान नहीं होता है, वहां वह खोजबीन-सह-चयन समिति से नए सिरे से सिफारिशें करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या विनियमों के अधीन उसे सौंपे जाएं या जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं :

परंतु बोर्ड, निदेशक द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन में अनुसरण किए जाने वाले ऐसे मानदंडों को अधिकथित कर सकेगा, जिनका, बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जाएगा और यदि बोर्ड की यह राय है कि ऐसे मानदंडों का अनुसरण नहीं किया गया है तो, बोर्ड निदेशक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उपधारा (7) के अधीन ऐसे निदेशक को हटाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर सकेगा।

(5) निदेशक, त्यागपत्र देने या पद से हटाए जाने के सिवाय, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(6) निदेशक, बोर्ड को संबोधित और स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

(7) बोर्ड, ऐसे निदेशक को पद से हटा सकेगा,—

(क) जो दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें बोर्ड की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है; या

(ग) जो निदेशक के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने के लिए असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वितीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिसके कारण निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है या स्वयं इस प्रकार आचरण किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक है :

परन्तु निदेशक को, बोर्ड द्वारा संस्थित की गई ऐसी किसी जांच के पश्चात्, जिसमें निदेशक को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, बोर्ड द्वारा दिए गए किसी आदेश के सिवाय, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा।

(8) जहां निदेशक का पद सेवा-अवधि पूरी होने के कारण रिक्त होने की संभावना है, वहां बोर्ड ऐसी रिक्ति होने के नौ मास पूर्व नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करेगा।

(9) जहां निदेशक का पद किसी कारणवश रिक्त होता है, वहां बोर्ड, संस्थान के ज्येष्ठतम संकाय सदस्य को, नियमित निदेशक की नियुक्ति हो जाने तक भारसाधक निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यदि ज्येष्ठतम संकाय सदस्य भारसाधक निदेशक का पद धारण करने के लिए रजामंद नहीं है तो अगले ज्येष्ठतम रजामंद संकाय सदस्य की भारसाधक निदेशक के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी।

17. जांच का आरंभ किया जाना—(1) बोर्ड, ऐसे संस्थान के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के उपबंधों और उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, जांच आरंभ कर सकेगा, जो वह उचित समझे :

परन्तु ऐसी जांच किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

(2) बोर्ड ऐसी जांच के निष्कर्षों के आधार पर निदेशक को हटा सकेगा या ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे और संस्थान, युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

18. अभिलेखों, आदि का अभिरक्षक—बोर्ड, संस्थान के किसी अधिकारी या अधिकारियों को, संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और संस्थान की किसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक के रूप में, पदाभिहित कर सकेगा।

19. सोसाइटी के सदस्यों के भूमिका—अनुसूची के स्तंभ (3) के अधीन क्रम संख्यांक 2 और क्रम संख्यांक 3 में निर्दिष्ट सोसाइटियों के सदस्यों को तत्स्थानी संस्थानों के संबंधित बोर्डों द्वारा, उन्हें सलाहकारी सहायता प्रदान करने के लिए, उस निमित्त एक संकल्प पारित करके लगाया जा सकेगा।

20. समितियां और अन्य प्राधिकरण—(1) बोर्ड, विनियमों द्वारा, संस्थान की ऐसी समितियों और अन्य प्राधिकरणों का गठन कर सकेगा और ऐसी प्रत्येक समिति और प्राधिकरण के कर्तव्यों और कृत्यों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) बोर्ड, संस्थान के कार्यों के समुचित प्रबंध के लिए उतनी तदर्थ समितियों का गठन कर सकेगा, जितनी वह उचित समझे।

अध्याय 4

लेखा और संपरीक्षा

21. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान—केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन संस्थानों को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रत्येक संस्थान को ऐसी धनराशियों का संदाय ऐसी रीति में कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

22. संस्थान की निधि—(1) प्रत्येक संस्थान एक निधि बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी धनराशियां;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीसों और अन्य प्रभार;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के रूप में प्राप्त सभी धनराशियां;

(घ) संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान से उद्भूत बौद्धिक संपदा के उपभोग से या उसके द्वारा सलाहकारी या परामर्शकारी सेवाएं प्रदान करने से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां; और

(ङ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां।

(2) प्रत्येक संस्थान की निधि में जमा की गई सभी धनराशियों को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या उनका ऐसी रीति से विनिधान किया जाएगा, जो बोर्ड, विनियमों द्वारा अधिकथित करे।

(3) प्रत्येक संस्थान, संस्थान की दीर्घकालिक पोषणीयता के लिए एक समग्र निधि का सृजन करेगा, जिसमें संस्थान की शुद्ध आय और ऐसी समग्र निधि के मद्दे विनिर्दिष्ट रूप से किए गए संदानों के उतने प्रतिशत को जमा किया जाएगा, जितना केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित करे :

परन्तु बोर्ड, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसी विन्यास निधियों का, जिसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से संदान किया जाए, भी सृजन कर सकेगा।

(4) किसी भी संस्थान की निधि का उपयोग ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

23. लेखे और संपरीक्षा—(1) प्रत्येक संस्थान उचित लेखे, जिनके अंतर्गत आय और व्यय विवरण, आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्ट और आंतरिक संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित विवरण भी हैं, जिनमें विनिधानों और अन्य सुसंगत अभिलेखों को विनिर्दिष्ट किया गया हो, बनाए रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में और ऐसे लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) जहां संस्थान का आय-व्यय विवरण तथा तुलनपत्र लेखांकन मानकों के अनुपालन में नहीं है, वहां संस्थान अपने आय-व्यय विवरण और तुलनपत्र में निम्नलिखित का प्रकटन करेगा, अर्थात्:—

(क) लेखांकन मानकों से विचलन;

(ख) ऐसे विचलन के कारणों; और

(ग) ऐसे विचलन से उद्भूत होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो।

(3) प्रत्येक संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षा दल द्वारा उपगत कोई व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को और संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में प्राप्त हैं और उन्हें विशिष्टतया बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) प्रत्येक संस्थान के, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाए, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

24. संस्थान द्वारा लेखा बहियों को बनाए रखा जाना—प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित के संबंध में उचित अद्यतन लेखा बहियां रखेगा :—

(क) उसके द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी धनराशियां और वे विषय, जिनकी बाबत प्राप्ति तथा व्यय होता है;

(ख) संस्थान की आस्तियां और दायित्व;

(ग) संस्थान की जंगम और स्थावर संपत्तियां।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यदि लेखा बहियों में संस्थान के कार्यकलापों और उसके संव्यवहारों का सही और निष्पक्ष चित्रण किया जाता है तो उन्हें उसमें विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में उचित लेखा बहियां समझा जाएगा।

25. संपरीक्षकों की नियुक्ति—(1) प्रत्येक संस्थान का बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष का समाप्ति के पूर्व और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) में या संस्थानों द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे संस्थान के तुलनपत्र तथा आय और व्यय विवरण की संवीक्षा करने के लिए ऐसे संपरीक्षक, जिनके अंतर्गत आंतरिक संपरीक्षक भी हैं, ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वह समुचित समझे, नियुक्त करेगा :

परन्तु बोर्ड, प्रत्येक चार वर्षों के पश्चात् संपरीक्षकों को बदल देगा।

(2) प्रत्येक संस्थान का बोर्ड, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जोखिम प्रबंध तथा संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रभावकारिता पर बोर्ड को विशेषज्ञ सलाह देने के लिए एक संपरीक्षा समिति का गठन करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त संपरीक्षक या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति का संस्थान के प्रशासन या कृत्यों से संबंधित या संबद्ध किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित, चाहे वह धनीय हो या अन्यथा, नहीं होगा।

26. निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट—(1) धारा 27 के अधीन प्रत्येक संस्थान के बोर्ड के समक्ष उसके निदेशक द्वारा रखे गए प्रत्येक लेखा विवरण के साथ निम्नलिखित के संबंध में एक रिपोर्ट संलग्न की जाएगी,—

(क) ऐसे संस्थान के कार्यकलापों की स्थिति;

(ख) ऐसी रकमें, यदि कोई हों, जिनको वह अपने तुलनपत्र में की किन्हीं अधिशेष आरक्षितियों में जमा करने का प्रस्ताव करे;

(ग) वह सीमा, जिस तक संपरीक्षक की रिपोर्ट में व्यय पर आय के किसी अधिशेष के विवरण में अल्पकथन या अधिककथन उपदर्शित किया गया है, तथा विवरण में ऐसे अल्पकथन या अधिककथन के कारण;

(घ) संस्थान द्वारा प्रारंभ की गई अनुसंधान परियोजनाओं की उत्पादकता, जिनको ऐसे सन्नियमों के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मापा गया हो;

(ङ) संस्थान के अधिकारियों और संकाय सदस्यों की नियुक्तियां;

(च) संस्थान द्वारा निर्धारित कार्य प्रदर्शन संकेतक और आंतरिक मानक, जिनमें अध्यापन, शोध और ज्ञान के उपयोजन में नवचारों की प्रकृति भी सम्मिलित है।

(2) निदेशक की रिपोर्ट में एक विवरण भी सम्मिलित होगा, जिसमें संस्थान के ऐसे पांच अधिकारियों के, जिनके अंतर्गत संकाय के सदस्य और अन्य कर्मचारी भी हैं, नाम जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम पारिश्रमिक (जिसके अंतर्गत भत्ते तथा ऐसे कर्मचारी को किए गए अन्य संदाय भी हैं) प्राप्त किया है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कर्मचारी द्वारा किए गए अभिदाय दर्शित हों।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरण में यह बात कि क्या ऐसा कोई कर्मचारी संस्थान के बोर्ड या विद्या परिषद् के किसी सदस्य का नातेदार है और यदि ऐसा है तो ऐसे सदस्य का नाम तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं, उपदर्शित की जाएंगी।

(4) निदेशक, संपरीक्षकों की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट प्रत्येक आरक्षण, अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में पूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण देने के लिए आबद्ध होगा।

27. बोर्ड द्वारा लेखा विवरण पर विचार किया जाना—(1) ऐसा लेखा विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र तथा आय और व्यय विवरण भी है, संपरीक्षक की ऐसी रिपोर्ट, निदेशक की ऐसी रिपोर्ट और ऐसे अन्य दस्तावेज, जिन्हें ऐसे विवरण के साथ उपाबद्ध या संलग्न किया जाना अपेक्षित है, संबद्ध संस्थान के बोर्ड के समक्ष उसकी बैठक में, वित्तीय वर्ष का समाप्ति से तीन मास के अन्तराल में लाए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति बैठक की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पूर्व बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक लेखाओं का विवरण बोर्ड द्वारा उसका अनुमोदन किए जाने पर संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

28. संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट—(1) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत अन्य विषयों के साथ-साथ संस्थान द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के प्रति उठाए गए कदम तथा ऐसे संस्थान में किए जा रहे अनुसंधान का परिणाम आधारित निर्धारण भी है, बोर्ड के निदेशाधीन तैयार की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “अनुसंधान का परिणाम आधारित निर्धारण” पद से किए गए अनुसंधान का विस्तृत विवरण और विश्लेषण तथा ऐसे अनुसंधान का, उसके समाघात कारक और सामाजिक परिणामों के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिणाम अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष ऐसी तारीख को या उसके पूर्व, प्रस्तुत की जाएगी, जो विनिर्दिष्ट की जाए और बोर्ड अपनी वार्षिक बैठक में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(3) वार्षिक रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा उसका अनुमोदन किए जाने पर, संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(4) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे प्राप्त होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5

समन्वय मंच

29. समन्वय मंच की स्थापना—(1) सभी संस्थानों के लिए, ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक समन्वय मंच की स्थापना की जाएगी।

(2) समन्वय मंच निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) ऐसी खोजबीन-सह-चयन समिति, जिसका गठन समन्वय मंच द्वारा किया जा सकेगा, द्वारा चयनित कोई ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, अध्यक्ष :

परन्तु समन्वय मंच अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाने तक, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चयन कर सकेगा;

(ख) प्रबंध शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक सचिव, भारत सरकार, सदस्य—पदेन;

(ग) चक्रानुक्रम से, प्रत्येक वर्ष, ऐसी राज्य सरकारों के, जिनमें संस्थान अवस्थित हैं, प्रबंध शिक्षा के भारसाधक दो सचिव, सदस्य—पदेन;

(घ) चक्रानुक्रम से, दो वर्ष के लिए, समन्वय मंच के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संस्थानों के चार अध्यक्ष;

(ङ) प्रत्येक संस्थान का निदेशक, सदस्य—पदेन;

(च) समन्वय मंच द्वारा गठित उपसमिति द्वारा चयन किए जाने वाले शिक्षा जगत या लोक सेवा में प्रतिष्ठित पांच व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी ।

(3) उपधारा (2) के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी ।

(4) समन्वय मंच के गैर-सरकारी सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के लिए हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(5) ऐसे मेजबान संस्थान का निदेशक, जहां समन्वय मंच की बैठक होनी है, समन्वय मंच का सदस्य-सचिव होगा और वह नए मेजबान संस्थान का चयन होने तक सदस्य-सचिव बना रहेगा ।

30. समन्वय मंच के कृत्य—(1) समन्वय मंच सभी संस्थानों के कार्य प्रदर्शन को बढ़ाने की दृष्टि से अनुभवों, विचारों और प्रसंगों को साझा करने को सुकर बनाएगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समन्वय मंच निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार को छात्रवृत्तियां, जिनके अंतर्गत अनुसंधान के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा अन्य सामाजिक रूप से तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के फायदे के लिए छात्रवृत्तियां भी हैं, संस्थित किए जाने की सिफारिश करना;

(ख) संस्थानों के समान हित के ऐसे विषयों पर विचार-विमर्श करना, जो किसी भी संस्थान द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं;

(ग) संस्थानों के कामकाज में आवश्यक समन्वय और सहयोग का संवर्धन करना;

(घ) नीति विषयक उद्देश्यों की पूर्ति का पुनर्विलोकन करना; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) समन्वय मंच उतनी समितियों का गठन कर सकेगा, जितनी वह इस धारा के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) समन्वय मंच का अध्यक्ष साधारणतया समन्वय मंच की बैठकों में अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(5) समन्वय मंच उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों की एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(6) समन्वय मंच एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा ।

(7) समन्वय मंच की प्रत्येक बैठक में ऐसे मेजबान संस्थान का चयन किया जाएगा जो अगली बैठक की मेजबानी करेगा:

परन्तु कोई संस्थान क्रमवर्ती दो से अधिक वर्षों तक बैठक की मेजबानी नहीं करेगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

31. रिक्तियों, आदि से कार्यों या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—इस अधिनियम या विनियमों के अधीन गठित किसी संस्थान या बोर्ड या विद्या परिषद् या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि,—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के चयन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है।

32. विवरणियों और सूचना का केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराया जाना—प्रत्येक संस्थान, केन्द्रीय सरकार को अपनी नीतियों या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा, जैसी केन्द्रीय सरकार, संसद को रिपोर्ट करने या नीति बनाने के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर अपेक्षा करे।

33. संस्थान का सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी होना—(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध प्रत्येक संस्थान को, जिसके अंतर्गत पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी में स्थापित संस्थान भी हैं, इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन जारी अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित कोई लोक प्राधिकारी है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट इस अधिनियम के अधीन जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना या किए जाने वाले आदेश की प्रति, प्रारूप में संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना के जारी किए जाने या आदेश किए जाने का अननुमोदन करने या दोनों सदन अधिसूचना या आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या आदेश नहीं किया जाएगा या ऐसे परिवर्तित रूप में जारी की जाएगी या किया जाएगा जिस पर दोनों सदन सहमत हुए हो।

34. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ब) के अधीन बोर्ड की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य;

(ख) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन निदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ग) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन समन्वय मंच के सदस्यों को उसकी या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संदेय यात्रा और ऐसे अन्य भत्ते;

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए या जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

35. विनियम बनाने की शक्ति—(1) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 5 के खंड (घ) के अधीन विद्यमान संस्थान के कर्मचारियों की सेवा की अवधि, पारिश्रमिक और निबंधन तथा शर्तें ;

(ख) धारा 7 के खंड (ख) के अधीन विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों का प्रवेश ;

(ग) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन संबद्ध संस्थानों के संकाय से सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की रीति ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन सम्मानिक उपाधियों का दिया जाना ;

(ड) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृंद के पदों की संख्या, उपलब्धियां और कर्तव्य तथा सेवा की शर्तें ;

(च) कार्य प्रदर्शन उद्देश्यों का अवधारण, जिनके आधार पर धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन निदेशक को परिवर्तनीय वेतन का संदाय किया जा सकेगा ;

(छ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस विनिर्दिष्ट करना ;

(ज) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ढ) के अधीन अध्ययन विभागों के बनाए जाने की रीति ;

(झ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना ;

(ञ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (त) के अधीन संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृंद की अर्हताएं, वर्गीकरण, पदावधि तथा नियुक्ति की पद्धति ;

(ट) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (थ) के अधीन शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदों के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों का गठन ;

(ठ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन भवनों की स्थापना और अनुरक्षण ;

(ड) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ध) के अधीन संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें तथा छात्र निवासों और छात्रावासों में निवास के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीस तथा अन्य प्रभार ;

(ढ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (न) के अधीन बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों के अधिप्रमाणन की रीति ;

(ण) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (प) के अधीन बोर्ड, विद्या परिषद् या किसी समिति की बैठकें, ऐसी बैठकों में गणपूर्ति और उनके कार्य संचालन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(त) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (फ) के अधीन संस्थान की वित्तीय जवाबदेही ;

(थ) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड की ऐसी शक्तियों और कृत्यों का निदेशक को प्रत्यायोजन ;

(द) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञ समूह की अर्हताएं, अनुभव और चयन की रीति ;

(ध) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिए भत्ते ;

(न) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन विद्या परिषद् की ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य ;

(प) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य ;

(फ) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान की ऐसी समितियों और अन्य प्राधिकरणों का गठन तथा उनके कर्तव्य और कृत्य ;

(ब) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक संस्थान की निधि में जमा की गई धनराशियों के निक्षेप या विनिधान की रीति ;

(भ) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन संस्थान की निधि के उपयोजन की रीति ; और

(म) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

36. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे—(1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अध्यादेश विद्या परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे ।

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेश में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश ;

(ख) संस्थान की सभी उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को संस्थान के उपाधि या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में और परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे उपाधियों और डिप्लोमाओं के पात्र होंगे ;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसूचितों की नियुक्ति की शर्तें और माडल तथा उनके कर्तव्य ;

(च) परीक्षाओं का संचालन ;

(छ) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन का बनाए रखा जाना ; और

(ज) ऐसे सभी अन्य विषय, जो अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएं ।

(3) विद्या परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निदेश करे, किंतु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, बोर्ड को यथाशाक्य शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड उस पर अपनी अगली बैठक में विचार करेगा ।

(4) बोर्ड को, ऐसा कोई अध्यादेश संकल्प द्वारा उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश, संकल्प की तारीख से, यथास्थिति, तदनुसार उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

37. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रथम विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

38. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

39. संक्रमणकालीन उपबंध—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रत्येक संस्थान का बोर्ड, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व उस रूप में कार्य कर रहा है, तब तक कार्य करता रहेगा जब तक इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए कोई नया बोर्ड गठित नहीं कर दिया जाता है, किंतु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर, बोर्ड के ऐसे सदस्य, जो ऐसे गठन के पहले पद धारण कर रहे हैं, पद धारण नहीं करेंगे ;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व प्रत्येक संस्थान के संबंध में गठित, यथास्थिति, विद्या परिषद् या संकाय परिषद् को तब तक इस अधिनियम के अधीन गठित विद्या परिषद् समझा जाएगा जब तक उस संस्थान के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी विद्या परिषद् का गठन नहीं कर दिया जाता है, किंतु इस अधिनियम के अधीन नई विद्या परिषद् का गठन किए जाने पर, यथास्थिति, विद्या परिषद् या संकाय परिषद् के ऐसे सदस्य, जो ऐसे गठन के पूर्व पद धारण कर रहे हैं, पद धारण नहीं करेंगे ;

(ग) जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रत्येक संस्थान के यथा प्रवृत्त नियम और उपविधियां, उस संस्थान को वहां तक लागू होते रहेंगे जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं।

(2) यदि केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो वह अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपाय कर सकेगी, जो विद्यमान संस्थान का तत्स्थानी संस्थान को निर्विघ्न अंतरण करने के लिए आवश्यक हों।

अनुसूची

[धारा 4(1) देखिए]

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्यमान संस्थान का नाम	अवस्थान	अधिनियम के अधीन निगमित संस्थान का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पश्चिमी बंगाल	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	कोलकाता	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता।
2.	गुजरात	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	अहमदाबाद	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद।
3.	कर्नाटक	भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर, मैसूर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 (1960 का 17) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	बंगलुरु	भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर।
4.	उत्तर प्रदेश	भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	लखनऊ	भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	मध्य प्रदेश	भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	इन्दौर	भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर।
6.	केरल	भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझीकोड, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	कोझीकोड	भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझीकोड।
7.	मेघालय	राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलांग, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	शिलांग	भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलांग।
8.	हरियाणा	भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	रोहतक	भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक।
9.	झारखंड	भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	रांची	भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची।
10.	छत्तीसगढ़	भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	रायपुर	भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर।
11.	तमिलनाडु	भारतीय प्रबंध संस्थान, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1975 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	तिरुचिरापल्ली	भारतीय प्रबंध संस्थान, तिरुचिरापल्ली।
12.	उत्तराखंड	भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	काशीपुर	भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर।
13.	राजस्थान	भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	उदयपुर	भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर।
14.	पंजाब	भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	अमृतसर	भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर।
15.	हिमाचल प्रदेश हि.प्र.	भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	सिरमौर	भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर।
16.	ओडिशा	भारतीय प्रबंध संस्थान, सम्बलपुर, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	सम्बलपुर	भारतीय प्रबंध संस्थान, सम्बलपुर।
17.	आंध्र प्रदेश	भारतीय प्रबंध संस्थान, विशाखापत्तनम, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	विशाखापत्तनम	भारतीय प्रबंध संस्थान, विशाखापत्तनम।
18.	महाराष्ट्र	भारतीय प्रबंध संस्थान, नागपुर, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	नागपुर	भारतीय प्रबंध संस्थान, नागपुर।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	बिहार	भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	बोधगया	भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया।
20.	जम्मू-कश्मीर	भारतीय प्रबंध संस्थान, जम्मू, जम्मू-कश्मीर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1998 (1998 का 6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	जम्मू	भारतीय प्रबंध संस्थान, जम्मू।